

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 1334 / 776

दिनांक :- 15/09/2021

कार्यालय आदेश

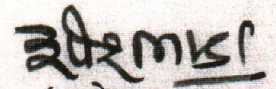
श्री /श्रीमती / सुश्री रामकुमार [लिंक नं. 1334] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भरतपुर - [16973] जिनकी जन्म तिथि 20/08/1964 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 08/11/2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है ।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 08/11/2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री रामकुमार की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06/06/1988 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक-न . 1334 / 776

दिनांक :- 15/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भरतपुर
4. कोषाधिकारी भरतपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री रामकुमार [1334] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भरतपुर
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट



(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)